संख्या–पी–51 / 14–2–2017–800 (1) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 04 मई 2017**

विषयः– जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम–बनीकोडर, तहसील–रामसनेही घाट के गाटा संख्या–288 तथा 305 में भिटरिया–हैदरगढ़ मार्ग पर किमी0 01–02 के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0493 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / यूपी / 06 / 15 / 2017 / एफसी / 513, दिनांक 17–2–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2219 / 11सी / एफपी / यूपी / अदस / 19868 / 2016, दिनांक 27–4– 2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्तावं भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27–4–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–पी:51(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।